न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 42/2021

1 चिमनाराम पुत्र स्व. हनुमान उम्र 75 साल जाति जाट निवासी खोहरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बैगाराम पुत्र स्व. हनुमान उम्र 55 साल जाति जाट निवासी खोहरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

2 शान्ति देवी पत्नी स्व. रामूराम उम्र साल जाति जाट (करीब पांच वर्ष पूर्व मृत्यु हो चूकी है नाता विवाह करके निराधनू चली गई, जिसक कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं हुआ है स्व. रामूराम व शान्ति देवी के कोई विधिक वारीस नहीं है।) निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज. के वारिसान हर आम व खास है।

3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

4 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर बउनवानी प्रकरण चिमनाराम बनाम बेगाराम
वगै. दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषे.
मु.नं. 07/2011 ता निर्णय 09.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2011 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलान्ट ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 52, 87, 88, 90 व 91 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दावा को मृत व्यक्ति के खिलाफ मान कर खारिज किया गया है जबकि वाद पत्र के अवलोकन से व वाद पत्र की धारा 4 में वादी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राज.)

स्पष्ट लिखा है कि शान्ति देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कोई वारिस नहीं है इस कारण से हर आम व खास को उज्र पेश करने हेतु फरीक दावा बनाया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाल कर दावा को खारिज किया गया है। दावा में मृतका शान्ति देवी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 नहीं है बल्कि उसकी स्थिति दर्ज कर उसके वारिसान हर आम व खास को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। जहां कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा किसी की भूमि में उसका गलत नाम रिकार्ड में दर्ज हो जाता है तो उसके ज्ञात विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुये रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाता है मौजूदा दावा में मृतक शान्ति देवी के कोई विधिक वारिस ना होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 हर आम व खास को पक्षकार दावा बनाया गया था ना कि मृतक को। विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वे क्षेत्रिय अखबार में इश्तहार हर आम व खास को उज्र पेश करने हेतू साया का आदेश दिया जाकर, बाद साया अखबार दावा को नियमानुसार निर्णित फरमाया जाना चाहिये था परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं किया व विवादित आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने अपना दावा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया परन्तु विचारण न्यायालय ने उन पर कोई गौर नहीं किया है। विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को दिनांक 01.04.2021 को प्राप्त हुई है प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है व अस्वस्थ रहता है व कोरोना संक्रमण के कारण लोकडाउन भी लगा है इस कारण नकल मिलने के बाद अपील प्रस्तुत होने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। नकल मिलने की दिनांक से लोक डाउन खुलने तक अपील अन्दर मियाद पेश है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनू)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने दावा को मृत व्यक्ति के खिलाफ मान कर खारिज किया गया है जबकि वाद पत्र के अवलोकन से व वाद पत्र की धारा 4 में वादी ने स्पष्ट लिखा है कि शान्ति देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कोई वारिस नहीं है इस कारण से हर आम व खास को उज्र पेश करने हेतु फरीक दावा बनाया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाल कर दावा को खारिज किया गया है। दावा में मृतका शान्ति देवी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 नहीं है बल्कि उसकी स्थिति दर्ज कर उसके वारिसान हर आम व खास को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। जहां कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा किसी की भूमि में उसका गलत नाम रिकार्ड में दर्ज हो जाता है तो उसके ज्ञात विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुये रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाता है मौजूदा दावा में मृतक शान्ति देवी के कोई विधिक वारिस ना होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 हर आम व खास को पक्षकार दावा बनाया गया था ना कि मृतक को पक्षकार बनाया गया है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को क्षेत्रिय अखबार में इश्तहार हर आम व खास को उज्र पेश करने हेतू साया का आदेश दिया जाकर, बाद साया अखबार दावा को नियमानुसार निर्णित करना चाहिये था परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर गुणावगुण पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर